रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-01122021-231514 CG-DL-E-01122021-231514

### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

# प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 682] No. 682] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 1, 2021/अग्रहायण 10, 1943 NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 1, 2021/AGRAHAYANA 10, 1943

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

(भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 2021

सा. का. नि. 841(अ).-भांडागारण (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 (2007 का 37) की धारा 51 की उप-धारा (2) के खंड (छ) के साथ पठित धारा 33 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से तथा भांडागार सलाहकार समिति के अनुमोदन से भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा की शर्तें) विनियम, 2016 में और संशोधन करने के लिए एतदद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात –

- 1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा की शर्तें) (संशोधन) विनियम, 2021 है।
  - (2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।
- 2. भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा की शर्तें) विनियम, 2016 में, अनुसूची 2 में प्रविष्टि हेतु 'प्रत्यक्ष भर्ती के लिए' उप-शीर्ष के तहत 'अर्हता अथवा अनुभव' के संबंध में स्तंभ 4 में 'सहायक (रणनीतिक जोखिम तथा अनुसंधान/परिचालन/पणधारी कार्य/पणधारी जागरूकता तथा पहुंच)' के पद से संबंधित क्रम संख्या 10क के सीधी भर्ती उप-शीर्ष के अधीन 'अर्हता के अनुभव' के तहत सारणी में निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी,अर्थात –

6933 GI/2021 (1)

- "(1) कृषि में स्नातक डिग्री; अथवा
- (2) एक विषय के रूप में जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जैव-प्रोद्यौगिकी या जैव-रासायन शास्त्र के साथ विज्ञान अथवा प्रोद्यौगिकी में स्नातक डिग्री: अथवा
  - (3) कृषीय कारबार प्रबंधन में मास्टर डिग्री; अथवा
  - (4) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से कृषीय कारबार प्रबंधन में पूर्ण-कालिक स्नातकोत्तर डिप्लोमा"

[फा. सं. डब्ल्यूडीआरए/2018/19-4/ए एंड एफ]

गणेश बकाड़े, निदेशक (प्रशासन और वित्त)

टिप्पण : मूल विनियम संख्या सा. का. नि. 694 (अ) तारीख 14 जुलाई, 2016 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 627 (अ) तारीख 02 सितम्बर, 2019 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।

#### MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution )

(WAREHOUSING DEVELOPMENT AND REGULATORY AUTHORITY)

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 5th November, 2021

- **G.S.R. 841(E)**.—In exercise of the powers conferred by section 33, read with clause (g) of sub-section (2) of section 51, of the Warehousing (Development and Regulation) Act, 2007 (37 of 2007), the Warehousing Development and Regulatory Authority, with the previous approval of the Central Government, and in consultation with Warehousing Advisory Committee, hereby makes the following regulations further to amend the Warehousing Development and Regulatory Authority (Conditions of service of the Officers and other Employees) Regulations, 2016, namely:-
- 1. (1) These regulations may be called the Warehousing Development and Regulatory Authority (Conditions of service of the Officers and other Employees) (Amendment) Regulations, 2021.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Warehousing Development and Regulatory Authority (Conditions of service of the Officers and other Employees) Regulations, 2016, in Schedule II, in the table under the heading 'Method of Recruitment', against serial number 10A relating to the post of 'Assistant (Strategy Risk and Research/Operations/Stakeholders Affairs/Stakeholders Awareness and Outreach)', in column 4 relating to "Qualification or experience', under the subheading 'For Direct Recruitment', for the entry, the following entry shall be substituted, namely:-
- "(i) Bachelor's degree in Agriculture; or
- (ii) Bachelor's degree in Science or Technology with Zoology, Botany, Bio-technology or Bio-Chemistry as one of the subject; or
- (iii) Master's degree in Agricultural Business Management; or
- (iv) a full-time Postgraduate diploma in Agricultural Business Management from a Government recognized University or institution."

[F. No. WDRA/2018/19-4/A&F]

GANESH A BAKADE, DIRECTOR (Admin & Fin.)

**Note**: The principal regulations, were published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* number G.S.R. 694(E), dated the 14th July, 2016, and was last amended *vide* notification number G.S.R. 627(E) dated the  $2^{nd}$  September, 2019.